न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी—श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या—24 / 2019
निर्णय दिनांक —14.03.2024
GCMS No.- 2019/00277

झाबरमल दतकपुत्र शेराराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

..........वादी

बनाम

1 छोगाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
2 नत्थुराम पुत्र मोटाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
3 नानीदेवी पत्नी मोटाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
4 रूपाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
5 हरीराम पुत्र मोटाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
6 इन्दुदेवी पत्नी मांगीलाल जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
7 गीतादेवी पुत्री सोहनराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
8 छोटीदेवी पुत्री गुलाबीदेवी जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
9 तीजू पुत्री हिमताराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
10 धनी पुत्री हिमताराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
11 पारवती पुत्री हिमताराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
12 बिड़दीदेवी पत्नी सोहनराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
13 बिहारीलाल पुत्र गुलाबीदेवी जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
14 भंवरीदेवी पुत्री गुलाबीदेवी जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
15 मनफूलराम पुत्र गुलाबीदेवी जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
16 मनसाराम पुत्र हिमताराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
17 ममता पुत्री मुनाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
18 रामनिवास पुत्र मुनाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
19 रामेश्वरी पत्नी मुनाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
20 रामीदेवी पुत्री सोहनराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
21 श्रवणराम पुत्र सोहनराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
22 श्रीराम पुत्र मुनाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ातहसील सुजानगढ़
23 सन्दीप पुत्र मांगीलाल जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
24 सुमन पुत्री मुनाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
25 सरोज पुत्री मुनाराम जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
26 हिराराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट नि. ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़
27 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब सुजानगढ़

..........प्रतिवादीगण

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—

1. श्री श्याम सुन्दर [illegible]
2. श्रीमती सन्तोष सैनी एडवोकेट प्रति[illegible] संख्या 1 ता 5 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 26 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 27 राज पैरोकार उ[illegible]स्थिति।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

–: निर्णय :–

संक्षिप्त मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम खोड़ा तहसील सुजानगढ़ में खेत ख. न. 174 तादादी 9.7366 हेक्टर व ख. न. 213 तादादी 5.1338 हेक्टर व ख. न. 215 तादादी 4.8683 हेक्टर व ख. न. 36 तादादी 3.0348 हेक्टर व ख. न. 37 तादादी 3.0348 हेक्टर कुल तादादी 25.8083 हेक्टर भूमि एवं खेत ख. न. 146 तादादी 0.1896 हेक्टर व ख. न. 48 तादादी 2.8198 हेक्टर व ख. न. 49 तादादी 1.9599 हेक्टर कुल तादादी 4.9693 हेक्टर वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक ता छबीस के संयुक्त खातेदारी के स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिसके विभाजन हेतु यह वाद न्यायालय में विचारण किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का अलग–अलग तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया।

वहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने भी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर कोई आपति जाहिर नहीं होने का अंकन आदेशिका पर किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 50 रोही ग्राम खोडा जो कि प्रदर्श–1 है, जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 51 रोही ग्राम खोडा जो कि प्रदर्श–2 है, आंशिक नक्शा नकल वादगत भूमि जो कि प्रदर्श–3 है के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक भी पक्षकारान का कब्जा काश्त वादपत्र में वर्णितानुसार तथा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ही है।

रेकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी तथा क्रॉस–सूट प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अंतिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 174 रकबा 9.7366 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213 रकबा 5.1338 हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 4.8683 हैक्टेयर, खसरा संख्या 36 रकबा 3.0348 हैक्टेयर व खसरा संख्या 37 रकबा 3.0348 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 25.8083 हैक्टेयर रोही खोडा तहसील सुजानगढ़ तथा खसरा संख्या 146 रकबा 0.1896 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 2.8198 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 49 रकबा 1.9599 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.9693 हैक्टेयर रोही मौजा खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि में विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 27 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
व इजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

झाबरमल बनाम छोगाराम आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 24 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....
हाजरी श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवार्ल एड़, श्रीमती सन्तोष सोनी एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 174 रकबा 9.7366 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213 रकबा 5.1338 हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 4.8683 हैक्टेयर, खसरा संख्या 36 रकबा 3.0348 हैक्टेयर व खसरा संख्या 37 रकबा 3.0348 हैक्टेयर कुल क़िता 5 कुल रकबा 25.8083 हैक्टेयर रोही खोडा तहसील सुजानगढ़ तथा खसरा संख्या 146 रकबा 0.1896 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 2.8198 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 49 रकबा 1.9599 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.9693 हैक्टेयर रोही मौजा खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि में विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 03 2024

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनतानाव कीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनाम ... [illegible] ... नही दर्ज करना चाहिये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 16:41:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़